145

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प बोर्ड जबलपुर म.प्र.

निगरानी - 2752/2018/नरसिंहपुर/भू.रा.

अखिलेश श्रीवास्तव आ. तुलाराम श्रीवास्तव आयु 46 वर्ष,
निवासी–गनेश वार्ड, करेली,
तहसील करेली जिला नरसिंहपुर म.प्र. ....पुनरीक्षणकर्ता

581

बनाम

1. बजेन्द्र माधव उम्र 43 वर्ष आ. श्री केशरीचंद गुप्ता
निवासी–डॉ. राजेन्द्र सिंह वार्ड, करेली,
तहसील करेली जिला नरसिंहपुर म.प्र.

2. श्री ओमप्रकाश उम्र 43 वर्ष आ. तुलाराम श्रीवास्तव,
निवासी–ग्राम महलपुरा, तहसील करेली जिला नरसिंहपुर

3. श्रीमति सुनीता जोजे ओमप्रकाश श्रीवास्तव, उम्र 41 वर्ष
निवासी–ग्राम महलपुरा,
तहसील करेली जिला नरसिंहपुर ......उत्तरवादीगण

श्री ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
26 APR 2018
अधीक्षक
कार्यालय ...

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय करेली के राजस्व मामला कमांक–22/0025/सी.आर.एम.एस./अ–6 (अ) वर्ष 2017–2018 पक्षकार विजेन्द्र माधव बनाम अखिलेश श्रीवास्तव में पारित आदेश दिनांक 21.03.2018 से पीड़ित होकर अनेक आधारों में से निम्न आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर रहा है।

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, उत्तरवादी कमांक–2 ओमप्रकाश श्रीवास्तव का सगा छोटा भाई है तथा उत्तरवादी कमांक–3 सुनीता श्रीवास्तव पुनरीक्षणकर्ता की सगी भाभी हैं, जो सभी संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं तथा एक साथ निवास करते हैं व अभी इनकी खानदानी भूमियों का किसी भी प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ है।

2. यह कि उत्तरवादी कमांक–1 ने उत्तरवादी कमांक–2 व 3 से रजिस्टर्ड विकय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—अ

प्रकरण कमांक निगरानी / 2752 / 2018 / नरसिंहपुर / भू.रा.

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
21.08.18	यह निगरानी तहसीलदार करेली जिला नरसिंहपुर व्दारा प्रकरण कमांक 22 / 0025 / सी.आर.एम.एस. / अ—6(अ)2017—18 में पारित आदेश दिनांक 21—3—2018 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार करेली के आदेश दिनांक 21—3—18 के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार व्दारा यह आदेश म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 / 110 के अंतर्गत पारित कर आदेश के अंतिम पद में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :— '' अतः म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदक व्दारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, पंजीकृत विकय पत्र तथा वाद कमांक 10 / 2016 पारित आदेश एंव डिकी दिनांक 8—9—2016 की छायाप्रति, पटवारी प्रतिवेदन से सहमत होते हुये मौजा महलपुरा नं.ब. 460 नं.ब. 460, प.ह.नं. 28 में स्थित भूमि ख.नं. 54 / 1, 55 / 1, 58 / 1 रकबा कमशः 0.040, 0.910, 0.037, 0.041 है. कुल रकबा 1.028 है. भूमि पर से विकेता ओमप्रकाश बल्द तुलाराम कायस्थ का नाम खारिज कर आवेदक बिजेन्द्र माधव आ. केशरीचंद गुप्ता निवासी करेली का नाम दर्ज कर अभिलेख दुरूस्त किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। '' स्पष्ट है कि तहसीलदार का आदेश अंतिम आदेश है जिसके विरूद्व प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष होगी। म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को—आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये। आवेदक सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। तदनुसार निगरानी प्रचलन—योग्य नं पाने से अमान्य की जाती है। सदस्य	